

डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय ,सागर (म.प्र.)

(पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पृथक पृथक देवें)
पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र
मुख्य परीक्षा 20..

फार्म शुल्क 10रु.

प्रति,

कुलसचिव(परीक्षा)
डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (म0प्र0) 470003

कक्षा
परीक्षा केन्द्र.....
परीक्षा केन्द्र कोड.....
रोल नं.
नामांकन क्रमांक-----
परीक्षार्थी का नाम -----
पिता/पति का नाम-----

सेमेस्टर परीक्षार्थियों के लिये पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं है

महोदय,

मैं मुख्य परीक्षा/पूरक सत्र 20... में सम्मिलित हुआ था। घोषित परीक्षा परिणाम के अनुसार नीचे लिखे विषय /ग्रुप/प्रश्न पत्र में मुझे अपेक्षा से कम अंक प्राप्त हुये हैं, कृपया संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना करवाने का कष्ट करें

विषय/ ग्रुप	प्रश्न पत्र क्रमांक	प्रश्न पत्र कोड	प्राप्तांक	यदि पुनर्मूल्यांकन करवाया है तो उसका विवरण			घोषित परीक्षा परिणाम
				विषय	प्रश्नपत्र	अंक	
				1.....	
				2.....	

पुनर्मूल्यांकन शुल्क रूपये का एस.बी.आई“पावर ज्योति चालान“,खाता क्रमांक 3200015647 प्रति ठ का क्रमांकबैंक का नाम) दिनोंक का संलग्न है। की राशि भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में चालान के माध्यम से जमा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी कोई अन्य चालान/चैक/बैंक ड्राफ्ट मान्य नहीं होगा। चालान वि.वि. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना संबंधी सभी नियम जो इस पृष्ठ के पीछे है मुझे मान्य होंगे। विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। इस लिये कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

नोट: आवेदक प्रश्न पत्र कोड तथा केन्द्र कोड संलग्न प्रपत्र में देखकर भरें।

संलग्न :- (i) अंकसूची की छायाप्रति

(ii) एस.बी.आई“पावर ज्योति चालान“,खाता क्रमांक 3200015647 प्रति B की प्रति

(iii) स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 6=00 रु.

का टिकिट लगा हो।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनोंक.....

पत्र व्यवहार का पूरा पता :-

पिन कोड नं.

--	--	--	--	--	--	--	--

फार्म नं.

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन - पत्र जमा करने की पावती
मुख्य परीक्षा वर्ष 20.....

कक्षा छात्र/छात्रा का नाम.....अनुक्रमांक.....

नामांकन क्रमांककेन्द्र का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

लिपिक के हस्ताक्षर

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना संबंधी नियम 2011

1. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन - पत्र मुख्य परीक्षा 20..... की अंकसूची शिक्षण विभाग / महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को प्राप्त तिथि से 15 दिनों तक स्वीकार किये जायेंगे। अध्यादेश 6 की कंडिका 26(1) के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/ महाविद्यालय से अंकसूची प्राप्त करना छात्र की जिम्मेवारी होगी। अवधि बीत जाने पर आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. अधिकतम दो प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया जा सकेगा।
3. प्रायोगिक उत्तरपुस्तिका/आंतरिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका/क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट लघुशोध प्रबंध के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
4. पुनर्मूल्यांकन हेतु शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है। एक प्रश्न पत्र की उत्तरपुस्तिका हेतु 200=00 रुपये मात्र। दो प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिका हेतु 400=00 रुपये मात्र। दो से अधिक पु.मू. की पात्रता नहीं होगी।
5. पुनर्गणना हेतु शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है। एक प्रश्न पत्र की उत्तरपुस्तिका हेतु 20=00 रुपये मात्र। एक से अधिक प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिका हेतु 100=00 रुपये मात्र।
6. अपूर्ण एवं भ्रामक आवेदन पत्र विचार नहीं किया जावेगा और ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
7. आवेदन के साथ मूल अंकसूची संलग्न न करें, उसकी छायाप्रति ही संलग्न करें।
8. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना की जानकारी के लिये पत्राचार न करें, परिणाम घोषित होने पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न लिफाफे में सूचना दी जाएगी।
9. विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। इसके लिये किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।
10. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम की प्रतीक्षा कि कारण आगामी पूरक/मुख्य परीक्षाओं के लिये परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि में छूट की सुविधा नहीं दी जायेगी।
11. ड्यूज के कारण रोक दी गई अंकसूची या रोक गये परिणाम के फलस्वरूप पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र जमा करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
12. एक से अधिक आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं जमा किया शुल्क वापिस नहीं होगा।
13. ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में पूरक/बैकलॉग परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हुये है उन्हें पुनर्मूल्यांकन की पात्रता नहीं होगी। परन्तु विधि एवं फार्मों के छात्रों को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा यथावत रहेगी।
14. नकल से संबंधित छात्र/छात्राओं को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं होगी।
15. आवेदन पत्र की छायाप्रति स्वीकार नहीं की जावेगी।
16. पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना के फार्म एक ही समय में जमा किये जावेंगे। पुनर्मूल्यांकन के पाश्चात् पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।
17. फीस निर्धारित चालान द्वारा सीधे एस.बी.आई. कि किसी भी शाखा में जमा की जा सकती है।
18. ड्राफ्ट किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।
19. महाविद्यालय/संकाय द्वारा शुल्क विवरण के साथ सामान्य रोल नम्बर सहित वि.वि. को प्रस्तुत करेगा।
20. महाविद्यालय कक्षावार शुल्क विवरण पत्रक तैयार कर आवेदन पत्रों के साथ परीक्षा शाखा में जमा करेंगे जिसे कक्षा सहायक शुल्क का परिक्षण कर कैशियर, वित्त शाखा को भिजवाएँगे जिसे कैशियर लेखावद्ध करेंगे
21. संबंधित महाविद्यालय/संकाय (जहाँ लागू हो) शुल्क विवरण सहित नामिनल रोल तैयार कर समेकित जानकारी के साथ फार्म कक्षावार वि.वि. के परीक्षा शाखा में उपलब्ध कराएँगे।